ालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ीन अधिकारी :— रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

मा नम्बर 142/2023 राजस्व वाद

01. देऊ पुत्री श्री रेवता गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नोसी पुत्री श्री रेवता गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादीगण

बनाम

01. भागू पुत्र श्री रेवता गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. जवारा पुत्र श्री रेवता गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गेहरू पुत्र श्री हरदेव गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भैरू पुत्र श्री हरदेव गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. पारसी पुत्री श्री हरदेव गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. रामू पुत्री श्री हरदेव गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. श्रीमती जम्मू पत्नी श्री हरदेव गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी— सोडास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा
09. उपपंजीयक महोदय,पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ास्थित :—

श्री मुकेश सिह तंवर —अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय —प्रतिवादी संख्या 01 से 07

पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक— 16.02.2026

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्व वाद बाबत षणा इन्द्राज दुरुस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89,92—क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस शय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात के परिवार का पारिवारिक दपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित है। सरहद गराडिया पटवार हल्का कबराडिया भू अभिलेख निरीक्षक त्रे बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 266 के आराजी नम्बर 1006/852 कबा 0.4679 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1015/850 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 994/813 रकबा 7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 995/852 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.2898 हैक्टयर थत है, जो राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात के नाम पर गलत रूप मे भिलिखित है। सोडास पटवार हल्का कबराडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला ीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 197 एक सौ सत्यानवे मे आराजी नम्बर 148 रकबा 0.3794 हैक्टयर, राजी नम्बर 58 अठावन रकबा 0.0759 हैक्टयर कुल किता 02 दो रकबा 0.4553 हैक्टयर एवं खाता सख्या 98 के आराजी नम्बर 106 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 634 रकबा 0.7588 हैक्टयर, आराजी

फोटो स्टेट प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदे
सहायक कलक्टर क

र 635 रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 67 रकबा 1.7326 हैक्टयर, किता 04 रकबा 3.5157
टयर, भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात के नाम पर गलत
से अभिलिखित है। वादपत्र की चरण संख्या 02 दो एवं 03 मे वर्णित आराजियात वादीगण एवं
वादी संख्या 01 लगायत 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 के दादा व श्वसुर रेवता जी के
ने की होकर संवत 2042 से 2045 एवं 2041 से 2044 मे उनके नाम पर दर्ज है होकर वादीगण की
नी कृषि आराजियात होकर वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है।वादपत्र की चरण संख्या 01
वर्णित पारीवारिक राजरे अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 02 दो एंव 03 तीन मे वर्णित आराजियात मे
ीया संख्या 01 का 1/5 हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 दो का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01
का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/5 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07
का 1/5 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग
ते चले आ रहे है। वादपत्र की चरण संख्या 02 दो एवं 03 तीन मे वर्णित आराजियात वादीगण के पिता
ा जी की होकर पुश्तैनी आराजियात है, वादीगण जो कि रेवता जी की जायन्दा पुत्रीया होकर उनका
न से हक अधिकार निहित है।दिनांक 02 दो फरवरी 2023 दो हजार तैबीस को प्रतिवादी संख्या 01
ायत 07 सात मौके पर आये व जबरन वादीगण को बेदखल करने की कोशिश की, इस पर वादीगण ने
ा कि उक्त जमीन वादीगण के पिता रेवता जी की है, जिस पर वादीगण काबिज है, इस पर प्रतिवादीगण
कहा कि रेवता जी की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 एवं एवं 02 एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगायत
के पिता व पति हरदेव ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर वादीगण का नाम दर्ज नही होने दिया।
कारण से वादीगण को बेदखल करके रहेगे व आराजियात को अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण करके
ो। इस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि वादीगण के पिता रेवता जी
मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो व प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 के पिता व पति हरदेव
ा राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर वादीगण जो कि रेवता जी की जायन्दा पुत्रीया होते हुए भी
त भूमि मे वादीगण का नाम दर्ज नही होने दिया, जो अवैध है, वादीगण राजस्व रेकार्ड मे अपना हक
सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है। वादीगण को अपने हक हिस्से की
णा हेतु यह वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करने के अलावा अन्य
ई विकल्प नही होने से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। गराडिया पटवार हल्का
राडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 266
सौ सासठ मे आराजी नम्बर 1006/852 रकबा 0.4679 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1015/850 रकबा 0.
2 हैक्टयर, आराजी नम्बर 994/813 रकबा 0.7208 हैक्टयर, आराजी नम्बर 995/852 रकबा 0.0379
टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.2898 हैक्टयर एवं सोडास पटवार हल्का कबराडिया भू अभिलेख
ीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 197 एक सौ सत्यानवे मे
राजी नम्बर 148 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 58 अठावन रकबा 0.0759 हैक्टयर कुल किता 02
रकबा 0.4553 हैक्टयर भूमि वादीगण की पुश्तैनी होकर वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित पारीवारिक
रे अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 02 दो एवं 03 मे वर्णित आराजियात मे वादीया संख्या 01 का 1/5
हिस्सा, वादीया संख्या 02 दो का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/5 हक हिस्सा,
वादी संख्या 02 दो का 1/5 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 सात का 1/5 हक हिस्सा
कर वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात के साथ
ना नाम दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारीणी है, तदनुसार घोषणात्मक डिक्री
क वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यदि प्रतिवादी संख्या
लगायत 07 सात वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व
राजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति
ी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष मे
प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि
वादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही
सी अन्य से करावे तथा वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा
कावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे

फोटो स्वयं प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण के नस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश की गयी, वादीगण द्वारा करण मे दस्तावेजात पेश किये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

अधिवक्ता वादीया की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त राजियात जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 03 लगायत के दादा व श्वसुर रेवता के जमाने की होने व वादीगण की पुश्तैनी होने से जन्म से हक अधिकार होते भी वादीगण का नाम दर्ज नही हुआ है। वादीगण अपना नाम व हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार षित करने का निवेदन किया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य का वलोकन किया गया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी ख्या 01 लगायत 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 07 के दादा व श्वसुर रेवता के जमाने की कर वादपत्र मे वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार वादीगण जो कि ता की जायन्दा पुत्री होने से वादीगण प्रत्येक का 1/5 , 1/5 हक हिस्सा है, वादीगण का राजस्व कार्ड मे नाम दर्ज नही हुआ है। वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना 2/5 हक हिस्सा जस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत होती अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। ा एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वींकार कर गराडिया पटवार हल्का कबराडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 266 के आराजी नम्बर 1006/852 रकबा .679 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1015/850 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 994/813 रकबा 0.7208 क्टयर, आराजी नम्बर 995/852 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 04 चार रकबा 1.2898 हैक्टयर एवं डास पटवार हल्का कबराडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) खाता संख्या 197 के आराजी नम्बर 148 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 58 अठावन रकबा 0. 59 हैक्टयर कुल किता 02 दो रकबा 0.4553 हैक्टयर खाता सख्या 198 के आराजी नम्बर 106 रकबा 0. 35 हैक्टयर, आराजी नम्बर 634 रकबा 0.7588 हैक्टयर, आराजी नम्बर 635 रकबा 0.7208 हैक्टयर, राजी नम्बर 67 रकबा 1.7326 हैक्टयर, किता 04 रकबा 3.5157 हैक्टयर, भूमि मे वादीगण को प्रतिवादी ख्या 01 लगायत 07 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या लगायत 07 के साथ वादीया संख्या 01 का 1/5 हक हिस्सा, वादीया संख्या 02 दो का 1/5 हक सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 दो का 1/5 हक हिस्सा व वादी संख्या 03 लगायत 07 सात का 1/5 हक हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। इस र्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें। उक्तानुसार क्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

फोटो स्टेट प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा